[2021] 10 एस. सी. आर 147

जितेंद्रन

बानाम

द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & एएनआर

(2021 की सिविल अपील संख्या 6494)

27 अक्टूबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: क्षतिपूर्ति-मोटर दुर्घटना

पिलियन सवार-दुर्घटना के समय 21 वर्ष की आयु-रु।

4500 / - प्रति माह-सिर में गंभीर चोटें आईं और पूरी तरह से स्थिर रहे और शुरू में 191 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे।

- उन्हें हेमीपरेसिस और कुल अफेसिया के साथ संज्ञानात्मक शक्ति की गंभीर हानि का भी सामना करना पड़ा और उनके लिए पूर्वानुमान 69 प्रतिशत था। स्थायी अक्षमता-न्यायाधिकरण ने रुपये का मुआवजा निर्धारित किया। 5,74,320 17 के गुणक को लागू करके-उच्च न्यायालय ने एक रुपये की अधिक राशि। 9,38,952 / - मुआवजे के रूप में, 40 प्रतिशत जोड़कर अस्पताल में भर्ती होने के बाद अतिरिक्त चिकित्सा खर्चों के लिए भविष्य की संभावना, Rs.100,000- तत्काल अपील में, दावेदार ने जमीनी स्तर पर परिचर/दर्शक की सेवाओं के लिए खर्च जोड़ने के लिए प्रार्थना की कि वह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों और आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था वह जिस सीमित जीवन को जी रहा है, उसके लिए भी निरंतर समर्थन आयोजित किया गया: मोटर वाहन अधिनियम सामाजिक कल्याण की प्रकृति का है

कानून और इसके प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि क्षतिपूर्ति न्यायसंगत रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए-इसलिए, एक व्यक्ति को न केवल दुर्घटना के कारण हुई चोट के लिए मुआवजा दिया जाना है, बल्कि जीवन बदलने वाली घटना से पहले, चोट और जीवन जीने में असमर्थता के कारण हुए नुकसान के लिए-पल में मामला, गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक और शारीरिक दावेदारयह भी देखा था कि दावेदार को एक की सहायता की आवश्यकता होगी उसकी सभी गतिविधियों के लिए दर्शक/परिचारक-इसे ध्यान में रखते हुए, वार्षिक परिचारक के लिए खर्च रुपये निर्धारित किया गया है। 60,000 / - और साथ में

18 का गुणक, के तहत देय अतिरिक्त मुआवजा दर्शक का सिर Rs.10,80,000/- होगा- इसके अलावा, एक व्यक्ति के लिए

गंभीर संज्ञानात्मक हानि और 69 प्रतिशत अक्षमता से पीड़ित, आवर्ती चिकित्सा उपचार अपरिहार्य है और अतिरिक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए

पहले से किए गए खर्च, भविष्य के चिकित्सा खर्चों को बढ़ाया जाता है

रु. 3,00,000/- (रु. 1,00,000/- से)-जहाँ तक दावेदार की कमाई क्षमता के नुकसान का संबंध था, हालाँकि शारीरिक अक्षमता का आकलन 69 प्रतिशत किया गया था, कार्यात्मक अक्षमता 100% थी-ऐसे मामलों में परिस्थितियों में, उसकी कमाई क्षमता का नुकसान 100% पर तय किया जाना चाहिए-क्योंकि उसकी मासिक आय 4,500/- रुपये थी, जिसमें 40 प्रतिशत भविष्य की संभावना को जोड़ते हुए, कमाई का मासिक नुकसान 6,300/- रुपये के रूप में मापा जाता है-इस प्रकार, दावेदार के लिए कमाई के 100% नुकसान के लिए मुआवजा होगा

Rs.13,60,800/- (6,300 x 12 x 18 रुपये)-अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 6 महीने की कमाई के नुकसान के संबंध में, दावेदार को दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने के लिए Rs.12,000/- का पुरस्कार दिया गया था-लेकिन कम आंकड़ा सही ढंग से छह महीने के नुकसान के अनुरूप नहीं था, जब

आय रु। 4500 / - अपराह्न-तदनुसार, इस शीर्ष के तहत राशि को Rs.27,000/- (4,500 x 6 रुपये)-कुल मुआवजे के रूप में सही किया जाता है।

से रु. 27,67,800 आदेश दिया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. अपीलार्थी को 69 प्रतिशत स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है और सहायता के बिना वह रोजमर्रा का कार्य नहीं कर सकता है।

कार्य। गंभीर रूप से बिगड़े संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं वाले दावेदार को निश्चित रूप से उस सीमित जीवन के लिए भी पूर्णकालिक सहायता की आवश्यकता होगी जो वह जी रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, विकलांग दावेदार से केवल अपने शुभचिंतकों और परिवार के सदस्यों की अनावश्यक सेवाओं पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायाधिकरण में पीठासीन न्यायाधीश ने स्वयं ध्यान दिया कि

दावेदार को अपनी सभी गतिविधियों के लिए एक दर्शक/परिचारक की सहायता की आवश्यकता होगी। नतीजतन, सहायता प्राप्त जीवन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दावेदार के लिए एक परिचर की सेवा के खर्च को जोड़ना आवश्यक पाया जाता है। चूंकि परिचर के लिए खर्च की मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई सामग्री तैयार नहीं की जाती है, इसलिए एक रूढ़िवादी अनुमान लगाते हुए, प्रति माह 5,000/- रुपये न्यूनतम प्रतीत होते हैं। इसलिए इसकी मात्रा निर्धारित करना उचित माना जाता है।

Rs.60,000/- पर वार्षिक व्यय और 18 के गुणक को लागू करते हुए, दर्शक शीर्ष के तहत देय अतिरिक्त मुआवजे की मात्रा Rs.10,80,000/- निर्धारित की जाती है। [पैरा 8] [154-सी-ई]

काजल वी. जगदीश चंद और अन्य (2020) 4 एस. सी. सी. 413

- पर भरोसा किया।

2. अपीलार्थी ने परीक्षण की आवर्ती आवश्यकताओं को दिखाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पर्याप्त चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जितेंद्रन बनाम।

द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & एएनआर

उपचार और आगे अस्पताल में भर्ती होने के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के शुरुआती 191 दिनों के बाद भी काफी खर्च किए गए थे। गंभीर संज्ञानात्मक हानि और 69 प्रतिशत अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति के रूप में, आवर्ती चिकित्सा उपचार अपरिहार्य है और पहले से किए गए अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य के चिकित्सा खर्चों को बढ़ाकर रु. [पैरा 9] [154-एफ-जी]

3. जबकि डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित स्थायी विकलांगता 69 प्रतिशत है, जो किसी भी तरह से पर्याप्त रूप से दर्शाती है

न्यायसंगत रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति को न केवल दुर्घटना के कारण हुई चोट के लिए मुआवजा दिया जाना है, बल्कि जीवन बदलने वाली घटना से पहले, चोट और जीवन जीने में असमर्थता के कारण हुए नुकसान के लिए। [पैरा 11] [155-बी-सी, डी-ई]

जगदीश वी. मोहन और अन्य (2018) 4 एस. सी. सी. 57: [2018] 3 एस. सी. आर. 20; हेलेन सी. रिबेलो और अन्य बनाम। महाराष्ट्र एस. आर. टी. सी. और अन्र.

(1999) 1 एससीसी 90: [1998] 1 पूरक। एससीआर 684-पर निर्भर।
5. न्यायालयों को एक वास्तविकता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए

जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों संदर्भों में

दावेदार की आय सृजन क्षमता सहित अक्षमताओं की सीमा और इसके प्रभाव का आकलन। समान प्रकृति के मामलों में, जिसमें दावेदार गंभीर संज्ञानात्मक पीड़ा से पीड़ित है

अक्षमता और सीमित गतिशीलता, न्यायालयों को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि भले ही शारीरिक अक्षमता का आकलन [2021] 10 एस. सी. आर. में किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

69 % , जहाँ तक दावेदार की अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का संबंध है, कार्यात्मक अक्षमता 100% है। आर्थिक हानि की सीमा

अक्षमता से उत्पन्न होने को स्थायी अक्षमता की सीमा के अनुपात में नहीं मापा जा सकता है। [पारस 12,13] [155-जी; 156-ए-बी]

चनप्पा नागप्पा मुचलगोडा बनाम। संभागीय

प्रबंधक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2020) 1 एस. सी. सी. 796: [2019] 14 एस. सी. आर. 556; राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्र। (2011) 1 एससीसी 343: [2011] 1 एससीसी 343

- पर भरोसा किया।

उसकी कमाने की क्षमता का आनुपातिक नुकसान। अपीलार्थी के लिए कमाई का जीवन समाप्त हो गया है और इस तरह उसकी आय हानि को 100% के रूप में मापा जाना चाहिए। कमाई के नुकसान का आकलन करने का कोई अन्य तरीका नहीं है क्योंकि अपीलार्थी जीवन भर के लिए अक्षम है और घर तक ही सीमित है। ऐसी परिस्थितियों में, उसकी कमाई करने की क्षमता का नुकसान होना चाहिए। 100% पर तय किया जाए। चूंकि उनकी मासिक आय 4,500/- रुपये थी, जिससे भविष्य की संभावना 40 प्रतिशत बढ़ गई, आय का मासिक नुकसान है

रु. 6,300/- के रूप में निर्धारित। इसलिए, दावेदार के लिए कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे की मात्रा Rs.13,60,800/आंकी गई है। (रु. 6,300 x 12 x 18)। तदनुसार, इस शीर्ष के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है।

[पैरा 16] [159-ए-सी]

7. अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 6 महीने की कमाई के नुकसान के लिए कम राशि को भी ठीक किया जाना चाहिए। दावेदार को पुरस्कृत किया गया था

Rs.12,000/- दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने के लिए। लेकिन कम आंकड़ा सही ढंग से छह महीने के नुकसान के अनुरूप नहीं है, जब आय रु। 4500 / - पी. एम तदनुसार, इस शीर्ष के तहत राशि को Rs.27,000/- (4,500 x 6 रुपये) के रूप में सही किया जाता है।

[पैरा 17] [159-डी]

8. इस तरह के मामलों में, न्यायाधिकरण और न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए कि स्थायी अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति न केवल अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं और अपनी शारीरिक सुविधाओं को बाधित करता है, बल्कि पीड़ित के लिए कई अन्य गैर-मात्रात्मक निहितार्थ भी हैं। तथ्य यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अमान्य हो जाता है, सामान्य साहचर्य से वंचित हो जाता है, जितेंद्रन बनाम।

द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & एएनआर

और एक उत्पादक जीवन जीने में असमर्थ होने से व्यक्ति को आत्मसम्मान की हानि का सामना करना पड़ता है। प्रयास दावेदार के दुख को काफी हद तक कम करने और उसकी वास्तविक जरूरतों को पहचानने के लिए होना चाहिए

जमीनी वास्तविकताओं के लिए लेखांकन। हालाँकि उपाय सही अनुपात में होने चाहिए। [पैरा 19] [159-जी-एच; 160-ए-बी]

पप्पु देव यादव बनाम। नरेश कुमार और अन्य

(2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन 752; सरला वर्मा और अन्य बनाम

दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य (2009) 6

एस. सी. सी. 121 [2009] 5 एस. सी. आर. 1098-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

(2020) 4 एस. सी. सी. 413

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[1998] 1 पूरक। एससीआर 684

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2018] 3 एससीआर 20

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2011] 1 एससीसी 343

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[2019] 14 एससीआर 556

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[2009] 5 एससीआर 1098

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.6494

2021 .

उच्च न्यायालय के 11.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एम. ए. सी. ए. में एर्नाकुलम में केरल। 2008 का No.2841।

ए. कार्तिक, साजिथ पी., अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

जे पी एन शाही, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री ए. कार्तिक को सुना।

(दावेदार)। श्री जे. पी. एन. शाही, विद्वान वकील बीमा कंपनी (प्रतिवादी संख्या 1) की ओर से पेश होते हैं।

2. छुट्टी दे दी गई। यह अपील मोटर दुर्घटना के दावे से उत्पन्न होती है।

13.4.2001 पर अपीलार्थी को लगी गंभीर चोटों के बाद जब मोटर साइकिल (जहाँ अपीलार्थी पिलियन पर सवार था) को एक कार ने टक्कर मार दी थी। दोनों सवार प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप [2021] 10 एस. सी. आर. के सिर में गंभीर चोटें आईं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी। वह बिस्तर पर थे, पूरी तरह से स्थिर थे और शुरू में, 191 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। अपीलार्थी को हेमीपरेसिस और कुल अफेसिया के साथ संज्ञानात्मक शक्ति की गंभीर हानि का भी सामना करना पड़ा है और उसके लिए पूर्वानुमान 69 प्रतिशत स्थायी अक्षमता है।

3. पिलियन राइडिंग अपीलार्थी द्वारा दायर दावा समान रूप से था

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, त्रिशूर द्वारा उसी दुर्घटना के अन्य दावेदारों के साथ विचार किया गया (इसके बाद संक्षेप में 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित)। पीठासीन अधिकारी ने देखा कि गंभीर रूप से विकलांग पिलियन सवार को दो व्यक्तियों के समर्थन की आवश्यकता है, उसे दोनों तरफ से पकड़कर और उसकी कम संज्ञानात्मक सुविधाओं के कारण, दावेदार न्यायाधिकरण

के समक्ष अपने परिवेश से अनजान प्रतीत होता है। वह केवल आंशिक रूप से अपना मुंह बंद कर सके और परिणामस्वरूप लार निकल गई। उसके मुँह से। न्यायाधिकरण के न्यायाधीश ने कहा कि दावेदार की आयु 21 वर्ष थी और जब वह दुर्घटना का शिकार हुआ तो वह आभूषण के काम से लगभग 4,500/- रुपये प्रति माह कमा रहा था। इन कारकों पर विचार करना और लागू करना

न्यायाधिकरण द्वारा 17 के गुणक, पिलियन सवार के लिए देय मुआवजे का निर्धारण रु. 5,74,320/- के रूप में किया गया था।

4. प्रदत्त राशि से असंतुष्ट, दावेदार ने अधिक मुआवजे के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत की अनुमति के साथ, दावेदार ने अस्पताल द्वारा जारी तीन छुट्टी सारांश, 40 चिकित्सा बिल (कुल Rs.68,196/-) और 3 चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां आंशिक रूप से विकलांग दावेदार को आगे का उपचार प्राप्त हुआ। वे थे।

इस तथ्य के साथ विचार किया कि रु। 4,500 / - पी. एम. एक आभूषण कर्मचारी के रूप में दावेदार की कमाई थी, जिसके लिए 40 प्रतिशत भविष्य की संभावना के रूप में था। जोड़ने की जरूरत है। अस्पताल में भर्ती होने के शुरुआती 191 दिनों के बाद आगे के इलाज के लिए किए गए अतिरिक्त चिकित्सा खर्चों को ध्यान में रखा गया और भविष्य के इलाज के लिए रु. 1,00,000/- जोड़ा गया। 69 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता की प्रकृति को तब निम्न में शामिल किया गया था -

संबंधित प्रमुख और उच्च न्यायालय ने एक उच्च राशि की मात्रा निर्धारित की मुआवजे के रूप में रु. 9,38,952/- (रु. 2,81,520/- के बजाय)। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा स्थायी विकलांगता के लिए रुपये. 8,57,432/- के अतिरिक्त मुआवजे की मात्रा निर्धारित की गई थी, जो पीठ पर बैठने वाले के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित रुपये. 5,74,320/- से अधिक थी।

5. नीचे दिया गया चार्ट मुआवजे की मात्रा का संकेत देगा।

न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा, विभिन्न शीर्षों के तहत:

जितेंद्रन वी. द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे.]

उच्च

न्यायालय

न्यायाधिकरण

मुखिया।

आमदनी में कमी

12,000 /

12,000 /

परिवहन पर खर्च

10,000 /

10,000 /

10,000 /

अतिरिक्त पोषण

10,000 /

कपड़ों को नुकसान

500 /

500 /

इलाज का खर्च

1,40,300 /

1,40,300 /

दर्शक के लिए खर्च

50,000 /

50,000 /

दर्द और पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति

50,000 /

1,00,000 /

9,38,952 /

स्थायी अक्षमता के लिए मुआवजा

2,81,500 /

20,000 /

सुविधाओं के नुकसान के लिए नुकसान

70,000 /

भविष्य के चिकित्सा खर्च

1,00,000 /

एनआईएल

5,74,320 /

कुल

14,31,752 /

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री ए. कार्तिक ने रेखांकित किया कि दावेदार को 69 प्रतिशत स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है और वह रोजमर्रा की गतिविधियों को करने में असमर्थ है और उसे सीमित जीवन के लिए भी निरंतर समर्थन की आवश्यकता है जो वह जी रहा है। तदनुसार गंभीर रूप से विकलांग दावेदार के लिए दर्शक/परिचारक की सेवा के लिए खर्च जोड़ने के लिए गंभीर अनुरोध किया जाता है।

6.1 चूंकि अतिरिक्त आवर्ती चिकित्सा आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है और इसके बाद भी नियमित चिकित्सा उपचार के लिए खर्च किए जाते हैं।

दुर्घटना, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बिलों और अस्पताल के दस्तावेजों के आधार पर, अपीलार्थी के वकील भविष्य के चिकित्सा खर्चों के शीर्ष के तहत दी गई राशि में पर्याप्त वृद्धि के लिए तर्क देते हैं।

6.2 क्योंकि अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता शून्य हो जाती है,

(उनकी 69 प्रतिशत स्थायी अक्षमता के बावजूद), स्थायी अक्षमता के शीर्ष के तहत मुआवजे को 69 प्रतिशत तक सीमित करने का तर्क है पूछताछ की गई और विद्वान वकील श्री कार्तिक प्रस्तुत करते हैं कि इसे भविष्य की कमाई के नुकसान के रूप में 100% मानते हुए सही आंकड़ा प्राप्त किया जाना चाहिए।

6.3 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घायल अपीलार्थी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था

191 दिनों के लिए और काम से दूर थे, उनकी छह महीने की कम मात्रा आय का नुकसान रु। 12,000 / - , जब आय रुपये के रूप में स्वीकार की जाती है। 4500 / - , अपीलार्थी के वकील द्वारा पूछताछ की जाती है और वह तर्क देता है कि

आय की मात्रा Rs.27,000/- (रुपये के बजाय) होनी चाहिए। 12,000 / - ,) संबंधित शीर्ष के तहत।

7. दूसरी ओर, श्री जे. पी. एन. शाही, विद्वान वकील उपस्थित हुए।

बीमा कंपनी के लिए प्रस्तुत करता है कि जब 69 प्रतिशत स्थायी हो

अक्षमता का सामना करना पड़ता है, उच्च न्यायालय द्वारा 69 प्रतिशत के स्तर पर निर्धारित राशि को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

7.1 विद्वान वकील द्वारा आगे यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय पहले ही भविष्य के चिकित्सा के लिए रु. 1,00,000/- का आदेश दे चुका है। व्यय और अपीलार्थी को उक्त गणना पर किसी भी अतिरिक्त राशि का दावा करने का अधिकार नहीं है।

7.2 जहाँ तक एक दर्शक/परिचारक के लिए खर्च के दावे का संबंध है, विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि दावेदार द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

परिचर की सेवा के लिए किए गए वास्तविक खर्चों पर और तदनुसार यह तर्क दिया जाता है कि इस शीर्ष के तहत आगे कोई दावा योग्य नहीं है।

8. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को 69 प्रतिशत स्थायी नुकसान उठाना पड़ा है।

अक्षमता और सहायता के बिना, रोजमर्रा के कार्य नहीं कर सकते। गंभीर रूप से अक्षम संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं वाला दावेदार निश्चित रूप से उस सीमित जीवन के लिए भी पूर्णकालिक सहायता की आवश्यकता होगी जो वह जी रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, विकलांग दावेदार से केवल अपने शुभचिंतकों और परिवार के सदस्यों की अनावश्यक सेवाओं पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायाधिकरण में पीठासीन न्यायाधीश ने स्वयं देखा कि दावेदार को अपनी सभी गतिविधियों के लिए एक दर्शक/परिचारक की सहायता की आवश्यकता होगी। नतीजतन, सहायता प्राप्त जीवन की आवश्यकता और काजल बनाम जगदीश चंद और अन्य में जो कहा गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, दावेदार के लिए एक परिचारक की सेवा के खर्च को जोड़ना आवश्यक पाया गया है। चूँकि मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई सामग्री का उत्पादन नहीं किया जाता है

परिचर के लिए खर्च, एक रूढ़िवादी अनुमान बनाते हुए, 5,000/प्रति माह न्यूनतम प्रतीत होता है। इसलिए यह माना जाता है कि वार्षिक खर्चों को Rs.60,000/- पर निर्धारित करने और 18 के गुणक को लागू करने के लिए उपयुक्त, दर्शक शीर्ष के तहत देय अतिरिक्त मुआवजे की मात्रा Rs.10,80,000/- है।

9. अपीलार्थी ने परीक्षण, उपचार और उपचार की आवर्ती आवश्यकताओं को दिखाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पर्याप्त चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

आगे अस्पताल में भर्ती होने के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के शुरुआती 191 दिनों के बाद भी काफी खर्च किए गए। एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में

गंभीर संज्ञानात्मक हानि और 69 प्रतिशत अक्षमता, आवर्ती चिकित्सा उपचार अपरिहार्य है और पहले से किए गए अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखते हुए, हम भविष्य के चिकित्सा खर्चों को बढ़ाकर रु. 3,00,000/- (रु. 1,00,000/- से) करना उचित समझते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि निम्न पक्ष में प्रतीत होती है।

10. जबकि डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित स्थायी विकलांगता 69 प्रतिशत है, यह किसी भी तरह से पर्याप्त रूप से दर्शाता है कि विकलांग दावेदार को अपने पूरे जीवन में कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। 21 साल के युवा के युवा सपने

1 1 (2020) 4 एस. सी. सी. 413 जितेंद्रन बनाम द न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। & ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे.]

और भविष्य की उम्मीदें गंभीर दुर्घटना से समाप्त हो गईं। युवक की बिगड़ी हालत ने निश्चित रूप से उसके परिवार के सदस्यों को प्रभावित किया है। दावेदार को पूर्णकालिक देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता के कारण उनके संसाधनों और ताकत पर दबाव पड़ना तय है। अपीलार्थी के लिए उत्तेजना और समर्थन के लिए उन पर लगातार भरोसा करना सभी हितधारकों के लिए भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय थकान का कारण बनना नियत है।

11. मोटर वाहन अधिनियम सामाजिक कल्याण की प्रकृति का है

कानून और इसके प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि मुआवजे का निर्धारण उचित रूप से किया जाना चाहिए। हेलेन सी. रिबेलो और अन्य बनाम में न्यायमूर्ति ए. पी. मिश्रा। महाराष्ट्र एस. आर. टी. सी. और Anr.² ने 'न्यायसंगत' मुआवजे की रूपरेखा पर निम्नलिखित निर्णय लिए,

" "न्यायपूर्ण" शब्द, इसके नामकरण के रूप में, एक बड़े परिधीय क्षेत्र के साथ समानता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता को दर्शाता है। विशालता, निश्चित रूप से, मनमाना नहीं है; यह विवेक द्वारा प्रतिबंधित है जो उचित, उचित और न्यायसंगत है, यदि यह अधिक है; इसे अनुचित कहा जाता है।

अनुचित, असंदिग्ध, न्यायसंगत नहीं "।

इसलिए एक व्यक्ति को न केवल दुर्घटना के कारण हुई चोट के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, बल्कि चोट के कारण हुए नुकसान और जीवन बदलने वाली घटना से पहले जीवन जीने में असमर्थता के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ जगदीश बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोल रहे हैं। मोहन और अन्य 3 निम्नलिखित को प्रासंगिक बनाते हैं।

मानव जीवन और गरिमा के आंतरिक मूल्य पर अवलोकन जिसका प्रयास किया जाता है

ऐसे प्रतिपूरक पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने के लिए,

" ..... मुआवजे के उपाय से व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए कानून के एक वास्तविक प्रयास को प्रतिबिंबित करना चाहिए। मुआवजे का हमारा पैमाना इतना खराब नहीं होना चाहिए कि कोई यह सवाल करे कि क्या हमारा कानून मानव जीवन को महत्व देता है। यदि ऐसा होता है, जैसा कि यह होना चाहिए, तो इसे नुकसान के दर्द और पीड़ा के आघात के लिए एक यथार्थवादी प्रतिदान प्रदान करना चाहिए। मुआवजे का पुरस्कार कानून का सम्मान नहीं है। अधिकारों के विमर्श में, वे कानून के तहत अधिकारों का गठन करते हैं।

12. न्यायालयों को एक यथार्थवादी प्रतिदान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए

जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, विकलांगों की सीमा और आय उत्पन्न करने सहित इसके प्रभाव के मूल्यांकन के संदर्भ में

दावेदार की क्षमता। समान प्रकृति के मामलों में, जहां दावेदार गंभीर संज्ञानात्मक शिथिलता और प्रतिबंधित गतिशीलता से पीड़ित है,

2 2 (1999) 1 एस. सी. सी 90

3 (2018) 4 एससीसी 571 [2021] 10 एस. सी. आर.

न्यायालयों को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि भले ही शारीरिक अक्षमता हो

जहां तक दावेदार की अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का संबंध है, कार्यात्मक अक्षमता का आकलन 69 प्रतिशत पर किया जाता है।

13. अक्षमता से होने वाले आर्थिक नुकसान की सीमा नहीं हो सकती है

स्थायी अक्षमता की सीमा तक के अनुपात में मापा जाए। इस पहलू को राज कुमार बनाम अजय कुमार और Anr.[1] में देखा गया था, जहाँ न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने निम्नलिखित उपयुक्त टिप्पणियां कीं:

" 10. जहाँ दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है, वहाँ भविष्य की कमाई के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजे का आकलन उसकी कमाई क्षमता पर ऐसी स्थायी अक्षमता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा। न्यायाधिकरण को स्थायी के प्रतिशत को यंत्रवत रूप से लागू नहीं करना चाहिए।

आर्थिक हानि या अर्जित करने की क्षमता की हानि के प्रतिशत के रूप में अक्षमता। अधिकांश मामलों में, स्थायी विकलांगता से उत्पन्न होने वाले आर्थिक नुकसान का प्रतिशत, यानी कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, के प्रतिशत से अलग होगा।

स्थायी अक्षमता। कुछ न्यायाधिकरण गलत तरीके से यह मानते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी विकलांगता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप कमाई क्षमता का नुकसान होगा, और इसके परिणामस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्षय स्थायी विकलांगता के रूप में 45 प्रतिशत दिखाता है, तो यह माना जाएगा कि भविष्य में 45 प्रतिशत का नुकसान होगा।

अर्जित करने की क्षमता। अधिकांश मामलों में, सीमा की बराबरी करते हुए (स्थायी अक्षमता की सीमा (प्रतिशत) तक कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत या तो बहुत कम या बहुत कम होगा।

उच्च मुआवजा। 11. न्यायाधिकरण द्वारा घायल की कमाई क्षमता पर स्थायी अक्षमता के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता है; और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, भविष्य में कमाई के नुकसान (निर्भरता के नुकसान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके) पर पहुंचने के लिए इसे धन के संदर्भ में मापा जाना चाहिए। हालांकि हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कुछ मामलों में, साक्षय और मूल्यांकन की सराहना करने पर, न्यायाधिकरण यह पा सकता है कि स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के लगभग बराबर है।

जिस मामले में, निश्चित रूप से, न्यायाधिकरण उक्त प्रतिशत को अपनाएगा

मुआवजे के निर्धारण के लिए "।

4 (2011) 1 एस. सी. सी. 343 जितेंद्रन बनाम द न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। & ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे.]

14. स्थायी अक्षमता के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए परीक्षण

भविष्य में कमाई करने की क्षमता में निम्नलिखित 3 चरण शामिल हैं जैसा कि राज कुमार 3 में निर्धारित किया गया था और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने चनप्पा नागप्पा मुचलगोडा बनाम... प्रभागीय प्रबंधक, न्यू इंडिया

बीमा कंपनी लिमिटेड।

" 13. स्थायी अक्षमता के प्रभाव की पुष्टि

वास्तविक कमाई क्षमता में तीन चरण शामिल हैं। न्यायाधिकरण को पहले यह पता लगाना होगा कि स्थायी अक्षमता के बावजूद दावेदार कौन सी गतिविधियाँ कर सकता है और वह क्या नहीं कर सकता है। स्थायी अक्षमता का परिणाम (यह जीवन की सुविधाओं के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजा देने के लिए भी प्रासंगिक है)। दूसरा कदम दुर्घटना से पहले उसके व्यवसाय, पेशे और काम की प्रकृति के साथ-साथ उसकी उम्र का भी पता लगाना है। तीसरा कदम यह पता लगाना है कि क्या (i) दावेदार किसी भी प्रकार की आजीविका कमाने से पूरी तरह से अक्षम है, या (ii) स्थायी विकलांगता के बावजूद,

दावेदार अभी भी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से जारी रख सकता है और

जिन कार्यों को वह पहले कर रहा था, या (iii) क्या उसे अपनी पिछली गतिविधियों और कार्यों के निर्वहन से रोका गया था या प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वह कुछ अन्य या कम पैमाने की गतिविधियों और कार्यों को जारी रख सकता था ताकि वह कमाई जारी रख सके या जारी रख सके। अपनी आजीविका कमाने के लिए "।

15. ऐसी आवश्यकताओं में अपनाए जाने वाले उपरोक्त मानदंड की पुष्टि न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने पप्पु देव यादव बनाम नरेश मामले में की थी। कुमार और अन्य '। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्धारित किया था:

" 13. तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है कि अपीलार्थी 20-वर्षीय है।

पुराना डेटा एंट्री ऑपरेटर (जिसने 12 वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी) स्थायी रूप से विकलांग हो गया था, यानी उसका दाहिना हाथ खो गया था।

काट दिया गया)। अक्षमता का आकलन 89 प्रतिशत किया गया था। हालाँकि, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने अक्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया केवल 45 प्रतिशत, इस धारणा पर कि मुआवजे के लिए मूल्यांकन एक अलग आधार पर होना था, क्योंकि चोट से केवल एक हाथ का नुकसान होता था। इस अदालत की राय में यह दृष्टिकोण

पूरी तरह से यांत्रिक है और वास्तविकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। जबकि यह सच है कि

एक अंग या एक भाग की चोट का आकलन आवश्यक नहीं हो सकता है।

6 (2020) 1 एस. सी. सी. 796 7 (2020) एससीसी ऑनलाइन 752 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूरे शरीर को स्थायी चोट, अदालत को जो जांच करनी है, वह परिणामी नुकसान है जो चोट दावेदार की कमाई या आय पैदा करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस प्रकार, ड्राइविंग जैसे व्यवसाय पर चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक पैर का नुकसान या कुछ ऐसा जो चलने या निरंतर गतिशीलता का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर आय उत्पन्न होती है या यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।

इसी तरह, एक बढ़ई या हेयरड्रेसर, या मशीनिस्ट जैसी नौकरी में शामिल व्यक्ति के लिए, और उस पर एक अनुभवी व्यक्ति के लिए, एक हाथ का नुकसान, (अधिक एक कार्यात्मक हाथ) आय सृजन के विलुप्त होने की ओर ले जाता है। यदि पीड़ित की आयु 40 वर्ष से अधिक है, तो पुनर्वास का दायरा भी कम हो जाता है। ये व्यक्तिगत कारक महत्वपूर्ण महत्व के हैं जिन्हें स्थायी अक्षमता की सीमा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, नुकसान के आकलन के उद्देश्य से

अर्जित करने की क्षमता "।

" 20. न्यायालयों को रूढ़िवादी या अदूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

लेकिन इसके बजाय, इस मामले को जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए देखें, दोनों विकलांगों की सीमा के मूल्यांकन और विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे में। वर्तमान मामले में, अदालत की राय में, एक हाथ के नुकसान के परिणामस्वरूप अपीलार्थी पर आय अर्जित करने में गंभीर हानि हुई। टाइपिस्ट/डेटा प्रविष्टि के रूप में

संचालक, उनके हाथों का पूर्ण कार्य उनकी आजीविका के लिए आवश्यक था। उनकी स्थायी अक्षमता की सीमा का आकलन 89 प्रतिशत पर किया गया था; हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कुछ 'आनुपातिक' सिद्धांत के पूरी तरह से गलत अनुप्रयोग पर इसे आधा करके 45 प्रतिशत कर दिया, जो अतार्किक था और कानून में असमर्थनीय है। जैसा कि निर्णय के बाद

निर्णय द्वारा जोर दिया जाता है, यह देखा जाना चाहिए कि पीड़ित की आय पैदा करने की क्षमता पर चोट का प्रभाव पड़ता है। एक अंग का नुकसान (एक पैर या एक पैर)

हाथ) और उस खाते पर इसकी गंभीरता को पीड़ित के पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय के संबंध में आंका जाना है; तैयार आवेदन के लिए एक अंधा अंकगणितीय सूत्र नहीं हो सकता है। पिछले निर्णयों में उल्लिखित सिद्धांतों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की आय उत्पन्न करने की क्षमता थी

निस्संदेह गंभीर रूप से प्रभावित। शायद, यह 89 प्रतिशत की सीमा तक नहीं है, यह देखते हुए कि वह अभी भी एक हाथ का उपयोग करता है, युवा है और उम्मीद है कि वह किसी अन्य काम के लिए खुद को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित (और पुनर्वास) कर रहा है। फिर भी, अक्षमता का आकलन 45 प्रतिशत नहीं हो सकता है; इस मामले की परिस्थितियों में इसका आकलन 65 प्रतिशत किया जाता है। जितेंद्रन वी. द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी।

लिमिटेड। & ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे.]

16. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आय क्षमता पर प्रभाव

जीवन भर के लिए अक्षम है और घर तक ही सीमित है। ऐसी परिस्थितियों में, उसकी कमाई की क्षमता का नुकसान 100% पर तय किया जाना चाहिए। चूंकि उनकी मासिक आय 4,500/- रुपये थी, जिसमें 40 प्रतिशत भविष्य की संभावना को जोड़ते हुए, कमाई का मासिक नुकसान 6,300/- रुपये के रूप में गिना जाता है। इसलिए हम इसे मानते हैं दावेदार के लिए कमाई के नुकसान के मुआवजे के रूप में Rs.13,60,800/- (6,300 x 12 x 18 रुपये) की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयुक्त है। तदनुसार, इस शीर्ष के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है।

17. 6 महीने के लिए कम राशि अर्जित करने के दौरान नुकसान

अस्पताल में भर्ती होने को भी ठीक किया जाना चाहिए। दावेदार को पुरस्कृत किया गया था Rs.12,000/- दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने के लिए। लेकिन कम आंकड़ा सही ढंग से छह महीने के नुकसान के अनुरूप नहीं है, जब आय रु। 4500 / - अपराह्न। तदनुसार, इस शीर्ष के तहत राशि को Rs.27,000/- (4,500 x 6 रुपये) के रूप में सही किया जाता है।

18. उपरोक्त निष्कर्ष के बाद, अतिरिक्त मुआवजा है -

अपीलार्थी के लिए योग्य पाया जाता है और उसी का आदेश दिया जाता है। चार विशिष्ट शीर्षों के तहत देय राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

एस नं.

मुखिया।

दावे की राशि एड

दर्शक के लिए खर्च

Rs.10,80,000 /

1 .

भविष्य के चिकित्सा खर्च

रु. 3,00,000 /

2 .

स्थायी विकलांगता के लिए मुआवजा Rs.13,60,800 /

3 .

और कमाई करने की शक्ति का नुकसान

आमदनी में कमी

रु. 27,000 /

4 .

कुल

Rs.27,67,800 /

5 .

उपरोक्त मात्रात्मक राशि का भुगतान पहले उत्तरदाता द्वारा किया जाना चाहिए,

आज से छह सप्ताह के भीतर। इन शीर्षों के तहत पहले भुगतान की गई किसी भी राशि को अपीलार्थी को भुगतान के दौरान समायोजित किया जा सकता है। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

19. अलग होने से पहले, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि जैसे मामलों में

इस प्रकार, न्यायाधिकरण और न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि व्यक्ति द्वारा सहन की जाने वाली स्थायी अक्षमता न केवल उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं और उसकी शारीरिक सुविधाओं को बाधित करती है, बल्कि पीड़ित के लिए कई अन्य गैर-मात्रात्मक निहितार्थ भी हैं। तथ्य यह है कि एक स्वस्थ [2021] 10 एस. सी. आर.

व्यक्ति अमान्य हो जाता है, सामान्य साहचर्य से वंचित हो जाता है, और एक उत्पादक जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है, जिससे व्यक्ति को आत्मसम्मान की हानि का सामना करना पड़ता है। इस तरह के दावेदार को एक आधुनिक ओलिवर ट्विस्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जिसे चार्ल्स डिकेंस के क्लासिक, "कृपया सर, मुझे कुछ और चाहिए" में अनाथालय में लड़के के रूप में अनुरोध करना पड़ता है। दावेदार के दुख को काफी हद तक कम करने और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी वास्तविक जरूरतों को पहचानने के प्रयास होने चाहिए। हालाँकि उपाय सही अनुपात में होने चाहिए। जैसा कि न्यायमूर्ति आर. वी. ने उचित रूप से कहा है।

रवींद्रन, सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य मामले में खंड पीठ की ओर से बोलते हुए, बस क्षतिपूर्ति पर्याप्त क्षतिपूर्ति है और पुरस्कार न्यायसंगत होना चाहिए।

वह-न कम और न अधिक। भाग्य के क्रूर मोड़ से पीड़ित पीड़ित की याचिका, जब कुछ और मांगती है, तो फिजूलखर्ची नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित और अनुचित लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उचित बदला लेने के लिए है।

आकस्मिक मोड़ उसका बिगड़ा हुआ जीवन है। इसलिए, जबकि अदालतों द्वारा दिया गया धन शायद ही घायल पीड़ित (जो जीवन की सामान्य सुविधाओं से वंचित है और दूसरों पर बोझ होने की बेचैनी से पीड़ित है) की वास्तविक पीड़ा का निवारण कर सकता है, अदालतें 'न्यायसंगत मुआवजा' देकर ऐसे दावेदार की आत्म-गरिमा को बहाल करने में मदद करने के लिए एक वास्तविक प्रयास कर सकती हैं।

20. उपरोक्त अवलोकन और मुआवजे में वृद्धि के साथ,

दावेदार की अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित किया गया है। पक्षकारों को अपना-अपना खर्च वहन करना होगा।
देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

8 (2009) 6 एससीसी 121